

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 173 / 2016

दर्ज दिनांक:—31.07.2018

1. संजय पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. सुनीता पता—

.....अप्रार्थीगण

रूपेन्द्रसिंह

प्रार्थी अभिभाषक  
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—31.07.2018

वकील वादीगण उप0 / तलवी प्रतिवादीगण की रजिस्टर एडी से कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इस बाबत कई अवसर भी दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 09.07.2018 को दावा अपालना में खारिज करने की भी चेतावनी दी गई है किन्तु पालना नहीं की गई है। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा में रूचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अन्तर्गत ओ.9—नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official